कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/9093/2015 देहरादूनः दिनांकः

जून, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन

विषय:-जनपद नैनीताल में धुधूखान-सौड़ व देवीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के बीच मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु — 0.36 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/9093/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सिहत शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है० ५० से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमित की दशा में प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

Jeph

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/9093/2015 तद्दिनांकित

## प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
- 2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
- 3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल
- 4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- 5. जिलाधिकारी, नैनीताल
- 6. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग
- 7. अधिशासी अभियंता, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, नैनीताल

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

## भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद नैनीताल में घुघूखान—सौड़ व देवीपुरा—सौड़ मोटर मार्ग के बीच मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु — 0.36 हैं 0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/9093/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुरूपष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नैनीताल वन प्रभाग में 0.36 है0 पंचायती वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षारः

नाम व पदनामः

(एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वृन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मो हिर्भेश्वण,गूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड

तिथि :

9/06/2015

स्थानः देहराद्न

## भाग-|||

# (सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमे शामिल है का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया 10. गया है (हॉं / नहीं)। यदि हॉं तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए हैं को संलग्न करें। हॉ दिनॉक **5**—06—2015
- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गई सूचना और उप वन संरखक की सिफारिशों से 11. सहमत हैं। हॉ
- विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष 12. सिफारिशें। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा दी गई संस्तुति से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं।

तारीखः 🗲 –6–2015

नैनीताल स्थानः

सरकारी मोहर

## निरीक्षण टिप्पणी

श्री विवेक पाण्डेय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनॉक **5**—6—2015 को प्रस्तावित धुधुखान सौड मोटर मार्ग एंव देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.360 हैo वन भूमि प्रकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणी।

दिनॉक \$-6-2015 को विषयगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री उमेश चन्द्र तिवारी ,वन क्षेत्राधिकारी कोसी श्री एन०सी० जोशी, क्षेत्रीय कर्मचारी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता , सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता तथा क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के साथ किया गया। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग धुधुखान सौड मोटर मार्ग एंव देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग मार्ग का निर्माण किया जाना है । उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अवगत किया कि धुधुखान सौड मोटर मार्ग के निर्माण की 11 किमी० की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० नैनीताल को वर्ष 2006 में प्राप्त थी एंव देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के निर्माण की 29 किमी० की स्वीकृति 2007 में अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०को प्राप्त थी । जिसमें दोनो मार्ग के मध्य 660 मीटर मार्ग भाग छूट गया, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धुधुखान सौड एंव देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग प्रस्ताव गठित किया गया । जिसमें 400 मीटर लम्बाई तथा 7 मीटर चौडाई में 0.360 है० वन पंचायत भूमि एंव 260 मीटर में नाप भूमि प्रभावित होती हैं ।

प्रस्तावित मार्ग के प्रस्ताव में 34 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के प्रभावित होते हैं। जिसमें बॉज के वृक्षों की संख्या 3 हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत किया कि उक्त 34 वृक्ष में से विभिन्न प्रजाति के 0—10 तथा 10—20 व्यास सेमी० के कमशः 14 तथा 2 वृक्ष कुल 16 वृक्षों में से बॉज के 0—10 तथा 10—20 व्यास सेमी० के कमशः 1 तथा 1 वृक्ष कुल 2 वृक्ष सम्मिल्लित हैं, की प्रत्यारोपण में जो भी व्ययभार आयेगा, उसको प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में प्रभाण पत्र दिया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि 16 वृक्षों के प्रत्यारोपण की योजना तथा अधिशासी अभियन्ता प्रा०खण्ड नैनीताल द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ऑन लाईन, अतिरिक्त सूचना में अंकित किया जा चुका हैं।

अधिशासी अभियन्ता तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत किया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से ग्राम सौड, धुधुखान, बासी तथा देवीपुरा जिनकी जन संख्या 2264 हैं, लाभान्वित होते हैं ।

उक्त प्रस्तावित मार्ग में 34 वृक्ष प्रभावित होनें व 0—10 तथा 10—20 व्यास सेमी0 के 16 वृक्षों के प्रत्यारोपण में होने वाले व्ययभार वहन करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार तथा उक्त प्रस्तावित मार्ग के प्रस्तावित समरेखन में प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा दी गई स्थल निरीक्षण रिर्पोट संस्तुति सहित जो ऑन लाईन प्रेषित की गई हैं, से अधोहस्ताक्षरीं सहमत हैं।

( विवेक पाण्डेय )

दक्षिणी कुमाउँ वि. उत्तराखण्ड दक्षिणी कुमाऊ वृत्ताचल्त्राखण्ड नैनीताल।

## भाग-।।

# (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

3.	परियोजना,	/ स्कीम का स्थान – घुघुखान सौंड मोटर एवं देवीपुर	। सीड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग
	i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
	ii)	जिला	नैनीताल
	iii)	वन प्रभाग	नैनीताल वन प्रभाग
	iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन	
	70.00	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )	0.360 80
	v)	वन की कानूनी रिधति	वन पंचायत
	vi)	हरियाली का धनत्व	0.4
	vii)	प्रजातिवार (वैद्यानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	वृक्षों की सूची संलग्न हैं ।
	viii)	मूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू—वैज्ञानिक रिपॉट संलग्न हैं ।
	ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तायित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा सेंदूरी लगभग 1 किमी0
	x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अम्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाधी कारीखोर आदि का माग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित	
		की जाए)	नाही
	xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है	4
		यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नडी
	xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण रमारक क्षेत्र में रिथत है, यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ	
		यदि अपेक्षित हो, या	नही
-	वन मुगि उ	जेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित सवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य	
	के ब्यौरों र	म है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों हे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। तथम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया	संलग्नक
ete.	के (भी / भा	धिम के उल्लंबन में कोई की विक्या निवा ही) यदि हों, तो कार्य की अवधि, दोषी	
	अधिकारिय	ा पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का चा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह	नही

प्रतिपुरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-1.080 से कम वनमूमि प्रभावित होने प्रतिपुरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-के कारण क्षतिपुरक आवश्यक नही पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। प्रतिपुरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित iv. वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित iii प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत दाचा आदि। प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल iv वित्तीय परिव्यय। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्घारित v क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपॉट विशेषतः संलग्नक 11-उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) प्रभाग / जिला प्रोफाइल 12-V. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 679400 ₹0 जिला का वन क्षेत्र। vi. 402040 €0 मामलों की संख्या सहित 1980 से 223 मामले 421.1698हैं0 जिसमें सि0सो0/व0प0 भी वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। सम्मल्लित हैं । 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल viii. प्रतिकृल वनीकरण 679.73 €0 दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित (事) वन भूमि वनेत्तर भूमि पर (ভা) 2005 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति वन मूमि पर (<del>a</del>) 579.542 80 वनेत्तर भूमि पर 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने प्रस्ताव संस्तृति सहित अग्रसारित । के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। दिनांक 6-5-2015 स्थान अंग्रेगान

एम क्षेत्र हमारी मेरीतास दम प्रभाव वित्रीतास

## प्रारुप-7

## SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer Provincial Division P.W.D.Nainital for diversion under FCA-1980) of 0.360 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Missing Link between Ghughukhan Saur Motor Road and Devipura Saur Motor The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated. 6.5.2015
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/unclassed/Other forests measuring **0.360ha**. van panchayat
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-
- 5.5 Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-
  - The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
  - The last been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

प्रस्तावित मार्ग धुधुखान सौड मोटर मार्ग के निर्माण की 11 किमी0 की स्वीकृति 2006 में अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0 नैनीताल को प्राप्त थी एंव देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के निर्माण की 29 किमी0 की स्वीकृति 2007 में अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० को प्राप्त थी । जिसमें दौनो मार्गों के मध्य 660 मीटर भाग छूट गया , प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धुधुखान सौड मोटर एंव देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग प्रस्ताव गठित किया गया । जिसमें 400 मीटर लम्बाई तथा 7 मीटर चौडाई में 0.360 हैं0 वन पंचायत भूमि एंव 260 मीटर में नाप भूमि प्रभावित होती हैं । उक्त प्रस्तावित मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में 34 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के प्रभावित होते हैं । जिसमें से 14 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के 0—10 व्यास सेमी जिसमें से केवल 1 वृक्ष बॉज प्रजाति का सम्मिलित हैं तथा 10—20 व्यास सेमी0 के 2 वृक्ष जिसमें से 1 वृक्ष बॉज प्रजाति का प्रभावित होता हैं कुल 16 वृक्षों की प्रत्यारोपण की योजना तैयार की गई हैं । स्थल निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग के निर्माण से सौड ,धुधुखान, बासी तथा देवीपुरा ग्राम के 2264 जन संख्या लाभान्वित होते हैं । अतः प्रस्ताव को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता हैं ।

Place:-Nainital

Date 6-5- 2015

is muonesed to be

N.B. x S diverted.

x State the purpose for which the forest land is proposed to be

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

## **PART-II**

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal: UK-0383/2015

1. Location of the project/Scheme: Uttarakhand

(i) State / Union Territory: Uttarakhand

(ii) District: Nainital

(iii) Forest Division: Nainital

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.36

(v) Category: Road

#### 2. Legal status of forest land proposed for diversion:

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status		
1	Nainital	0.36	Village Forest		

#### Division 1.: Nainital

#### 3. District wise area to be diverted in the division:

S. No.	District	Area(ha.)	
1	Nainital	0.36	

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion:

#### (ii) Density of vegetation

S. No.	S. No. Area(in ha.)		Eco-Class
1	0.36	0.4	Eco 6

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31- 60)cm.	(61- 90)cm.	(91- 120)cm.	(121- 150)cm.	(>150)cm.
1	Myrica esculenta	Kafal	0	0	1	0	0
2	Quercus leucotricophora	Banj	1	0	1	0	0
3	Pinus roxburghii	Chir	1	7	3	1	2
4	Rhododendron arboreum	Burans	0	0	1	0	0
5	Misc. Species	Ayar	0	0	2	0	0

- 5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion: No Data
- 6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion: This area is not vulnerable to erosion.
- 7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): 1
- $\delta.$  Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
  - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion: Ghural, Kakar
  - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.: No

Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

- Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, (iv). elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion: No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any:

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area: No
- 10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion:
  - (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: Yes
- 11. Details of violation(s), if any ,committed:
  - (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out: No
- 12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No): No Data
- 13. Details of compensatory afforestation scheme:

	Patch Wise Details										
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch					
			NO Data								

(ii). Copy of CA scheme details: NA

(ii).

Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:



(ii).

Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:

Additional information Details:

S. No.	Documents	Remarks
1		

#### 14. District Profile:

s.	no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	the	divorted	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non- forest land (in ha.)	
	1	Nainital	679400	402640	421.1698	223	675.73.	31/07/2005	579.542	0	

<sup>15.</sup> Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land:

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Nainital	South Kumaun	DFO	Yes	One		06/05/2015
	South Kumaun	CF	Yes	One		05/06/2015

## (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason:

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation Reason		Letter	Whether CF agreed
Nainital	South Kumaun	DFO	Recommended			
	South Kumaun	CF	Recommended			Yes

Print page

## FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

## PART - I

(To be filled up by User Agency)

Α.	General	Details

A-1 Project Details

(i). Proposal No.: FP/UK/ROAD/9093/2015

- (ii). Name of Project for which Forest Land is required: C/O Missing Link betweenGhughukhan Saur Motor Road and Devipura Saur Motor Road
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: C/O Missing Link betweenGhughukhan Saur Motor Road and Devipura Saur Motor Road Under State Sector
- (iv). State: Uttarakhand
- (v). Category of the Project: Road
- (vi). Shape of forest land proposed to be diverted: Linear
- (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs): 12.6
- (viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 0.36
- (ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): NIL
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL

A-2. Details of User Agency

- (i). Name: PUBLIC WORKS DEPARTMENT
- (ii). Address1: Office of the Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Division, Nainital
- (iii). Address2: NIL
- (iv). State: Uttarakhand

(v). District: Nainital

(vi). Pin: 263002

(vii). Landmark: NIL

(viii). Email address: eepdpwdntl@gmail.com

(ix). Landline Telephone No.: 235572

(x). Fax No.: 233549

(xi). Mobile No.: 9412349315

(xii). Website (if any): NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past

	List of proposal submitted in Past										
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In- Principle Approval	Date of Final Approval				
	NIL										

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Pankaj

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Rai

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Assistant Engineer

(vi). Address 1: Office of the Assistant Engineer, Provincial Division , Public Works Division, Nainital

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Nainital

(x). Tehsil: Nainital

(xi). Pin: 263001

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eepdpwdntl@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 235572

(xv). Fax No.: 05942233549

(xvi). Mobile No.: 9412349315

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User

Agency:

## B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?.: No

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

## B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Nainital	0.36	0

#### B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Nainital	0.36	0

## B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Saur Block Kotabag	0.36	0

#### B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	1	0.36	0

## C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1.: Nainital

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.): 0.36

(ii).: Linear

(b). No. of Segments: One

Segment wise details			
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	
1.	0.36	View File	

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total

Station:



# <u>D.</u> <u>Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:</u>

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided:  $\ensuremath{\mathsf{No}}$
- (a). Reason for not providing such map More Tree & Forest Land

## E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 20
- F. Displacement of People due to the Project, if any
  - (i). Whether Project involves displacement?: No
- G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project
  - (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No
- H. Status of Environmental Clearance
  - (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No
- I. Status of Wildelife Clearance
  - (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No
- J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas
  - (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No
- <u>K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted</u>
  - (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes
    - (a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted:



- L. Details of land identified for Compensatory Afforestation
  - (i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: NIL
  - (ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: NIL
  - (iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: NIL

# Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1	FOT Makes	
2	TO False	
3	FOT LEASE	

Print page